



वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
(उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अधिनियम 415/2005 द्वारा स्थापित पूर्ववर्ती उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय)
Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University
(Formerly Uttarakhand Technical University Established by Act no. 415/2005 by Uttarakhand Government)
Chakrata Road, P.O. Chandanwadi, Premnagar, Suddhowala, Dehradun, Uttarakhand(India)
Tel.No 0135-2774067 Website: www.uktech.ac.in

पत्रांक संख्या \021/वी0मा0सिं0भ0उ0प्रौ0वि0/2023

दिनांक:-24/06/2024

सूचना

सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय विनियमावली-2018 के अध्याय-07 की धारा 7.01 "नये महाविद्यालयों को सम्बद्धता" में दी गयी व्यवस्थाओं के अन्तर्गत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थानों/नवीन प्रस्तावित संस्थानों/ट्रस्ट/सोसाईटी आदि जो शैक्षिक सत्र 2025-26 से नवीन तकनीकी, विधि, फार्मसी संस्थान/पाठ्यक्रम संचालित करने व पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की शाखा में वृद्धि/सीट वृद्धि हेतु इच्छुक हैं, ऐसे संस्थानों/ट्रस्ट/सोसाईटी आदि से विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के ऑनलाईन सम्बद्धता पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:-

प्रथम चरण नवीन संस्थान/पाठ्यक्रम संचालित करने व पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की शाखा में वृद्धि/सीट वृद्धि हेतु इच्छुक संस्था/ट्रस्ट/सोसाईटी हेतु ऑनलाईन सम्बद्धता पोर्टल खोले जाने की तिथि तथा पोर्टल बंद किये जाने की तिथि	26 जून, 2024 से 30 अगस्त, 2024 तक
प्राप्त आवेदनों में संस्था स्तर पर सूचना अपडेट किये जाने अथवा सुधार किये जाने हेतु निर्धारित तिथि	01 सितम्बर, 2024 से 07 सितम्बर, 2024 तक
अंतिम चरण यदि पोर्टल बंद किये जाने की तिथि समाप्ति उपरान्त भी कोई संस्था/ट्रस्ट/सोसाईटी उपरोक्त हेतु आवेदन के लिए इच्छुक है, तो अर्थदंड की राशि रू0 10000/- प्रति पाठ्यक्रम की दर सहित आवेदन किये जाने हेतु अंतिम तिथि	08 सितम्बर, 2024 से 15 सितम्बर, 2024 तक
प्राप्त आवेदनों पर निरीक्षण समिति का गठन	आवेदन प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर
गठित निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण की कार्यवाही	समिति गठित किये जाने की तिथि से 15 दिवस के भीतर
निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट में इंगित की गयी कमियों का संस्था स्तर पर निराकरण/अनुपालन	निरीक्षण प्रक्रिया पूर्ण होने के 01 सप्ताह के भीतर
निरीक्षण समिति द्वारा संस्था के स्थलीय निरीक्षण उपरान्त विश्वविद्यालय में प्रस्तुत प्रस्ताव को निरीक्षण समिति की सुस्पष्ट संस्तुति के आधार पर राज्य सरकार की अनापत्ति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने की कार्यवाही	निरीक्षण समिति द्वारा सुस्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने की तिथि से 01 सप्ताह के भीतर
नोट आवेदन करने वाली संस्था/ट्रस्ट/सोसाईटी को उपरोक्त प्रक्रिया पूर्ण होने उपरान्त नवीन संस्थान/पाठ्यक्रम संचालित किये जाने, पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की शाखा में वृद्धि/सीट वृद्धि हेतु राज्य सरकार की अनापत्ति तथा नियामक संस्था की स्वीकृति/अनुमोदन विश्वविद्यालय की शैक्षिक सत्र 2025-26 की प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ होने से पूर्व विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।	

(कुलसचिव)

कुलसचिव
वीर माधो सिंह भण्डारी
उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
देहरादून, उत्तराखण्ड



प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव कुलपति को मा० कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित ।
2. निजी सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति, राजभवन, देहरादून को महोदय के सूचनार्थ प्रेषित ।
3. निजी सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को महोदय के सूचनार्थ प्रेषित ।
4. नोडल अधिकारी, यू०एम०एस० को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर समस्त संस्थान/सोसाइटी/ट्रस्ट तथा सर्वसाधारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
6. वेबमास्टर, वी०मा०सि०भ०उ०प्रौ०वि० को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
7. समस्त सम्बद्ध संस्थान, वी०मा०सि०भ०उ०प्रौ०वि०, देहरादून ।
8. कार्यालय प्रति ।

(कुलसचिव)